

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: प्रभूदयाल शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 2579/2016

## उनवान

- (1) भरतलाल पिता पन्नालाल बारोट जाति बारोट निवासी मेंतवाला तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
- (2) कन्हैयालाल पिता चंचरलाल बारोट जाति बारोट निवासी मेंतवाला तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी।

—: अप्रार्थी

## प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम निर्णय

दिनांक: 4/02/2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के कब्जे, स्वामित्व की भूमि आराजी नम्बर 816 जिसका वर्तमान नम्बर 2328 वाके गांव मेंतवाला तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा में स्थित हैं एवं उक्त भूमि का क़य करने के समय से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि मोहनपुरी पिता शिवपुरी जाति साधु निवासी मेंतवाला से किमतन क़य की गई है। उक्त भूमि जिलाधीश के आदेश क्रमांक: एफ 12 (3) राजस्व/78/2041-44 दिनांक 7.8.1978 द्वारा ग्राम पंचायत मेंतवाला के नाम आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई है। वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में श्रीसरकार दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि को प्रार्थीगण के नाम दर्ज कराने हेतु समय-समय पर आयोजित राजस्व शिविरो में राजस्व कर्मचारियों को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा उक्त भूमि श्रीसरकार ही दर्ज है। जिस वजह से प्रार्थीगण को वाद-पत्र वास्ते झुट्टि हेतु न्यायालय में पेश हुआ।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार के नाम सम्मन जारी किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार का जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर समय-समय पर पत्र जारी कर अप्रार्थी तहसीलदार गढ़ी को प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार (मुन्धियारी) गढ़ी का जवाब प्रस्तुत होने पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं पत्रदली पर उपलब्ध अनिलेख तथा अप्रार्थी के जवाब के संक्षिप्त अवलोकन व मनन करने पर पाया गया कि श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक: एफ 12 (3) राजस्व/78/2041-44 दिनांक 7.8.1978 द्वारा ग्राम पंचायत मेंतवाला को ग्राम कोटड़ा बड़ा की आराजी नम्बर 644 रकबा 14.30 बीघा, आराजी नम्बर 643 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा, ग्राम मेंतवाला की आराजी नम्बर 816 रकबा 8 बीघा, आराजी नम्बर 806 रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 992 रकबा 5 बीघा, ग्राम निजोड़ा बड़ा की आराजी नम्बर 217 रकबा 3 बीघा, ग्राम नड़ीयादाबड़ा की आराजी नम्बर 87 रकबा 3 बीघा भूमि ग्राम मेंतवाला के आबादी विस्तार हेतु राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक: एफ 8 (3) राजस्व/6/48/कोल/73 दिनांक 20.4.61 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत आवंटित की गई जिसकी शर्त संख्या 1 अनुसार ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि के लगान का 20 गुना प्रीमियम

पत्र उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम  
नहीं होने के कारण निरस्त योग्य पाते हैं। लिहाजा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत  
पत्र धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम निरस्त किया जाता है।

तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी को निर्देश दिए जाते हैं कि श्रीमान् जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक: एफ 12 (3) राजस्व/78/2041-44 दिनांक 7.8.1978 में  
शर्तों की पालना के सन्दर्भ में समुचित परीक्षण करें तथा यदि ग्राम पंचायत मेंतवाला  
सम्पूर्ण शर्तों की पालना की गई है तो नियमानुसार आवंटित भूमि का आबादी विस्तार  
ग्राम पंचायत मेंतवाला के पक्ष में राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद की कार्यवाही कर इस  
दफ्तर को अवगत करावें। -

निर्णय आज दिनांक 4/02/2019 को जारी किया गया।

(प्रभूदयाल शर्मा)

उपर्युक्त अधिकारी  
गढ़ी